अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/उपापन/2015–16/ E.O. No.- 92175 जयपुर, दिनांक: 13-04-2017

स्थायी आदेश संख्या–32/2017

विभागीय परिपत्र कंमाक एफ– 27 (79) ग्रावि/अनु.5/जीकेएन/प्रशा.अनु.स./2014 दिनांक 17.9.2014 के परिशिष्ट 3 में वर्णित तकनीकी स्वीकृतीं जारी करने की सीमा एवं परिशिष्ट 5 के बिन्दु संख्या 3 में वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में निम्नानुसार संशोधित निर्देश जारी किये जाते है :–

परिशिष्ट 3 :–

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी/समिति जिसको शक्तियां निहित है	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपयो में), मरम्मत/रखरखाव		
	पूर्व में जारी निर्देशानुसार		संशोधित निर्देश
	नवीन कार्य	मरम्मत/रखरखाव	मरम्मत/रखरखाव
कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता	5 लाख तक	50 हजार तक	1 लाख तक
सहायक अभियन्ता पं.स./जि.प.	15.00 लाख तक	1.00 लाख तक	2 लाख तक
अधिशाषी अभियन्ता पं.स.//जि.प.	50.00 लाख तक	3 लाख तक	5 लाख तक
जिला दर निर्धारण समिति के अनुमोदन उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जि.द.नि.स. जिला परिषद	–	–	5 लाख से अधिक परन्तु 50 लाख से कम लागत के कार्य

परिशिष्ट 5:–

विवरण	पूर्व में जारी निर्देश	संशोधित निर्देश
उपयोगगिता एवं पूर्णताः प्रमाण पत्र जारी करना	सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने के पश्चात पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बंधित तकनीकी स्वीकृति/संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी के उच्चतर प्राधिकारी द्वारा पूर्ण संतुष्टि एंव कार्य साईट का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद जारी किया जायेगा एंव इस आशय का निरीक्षण का दिनांक सहित विवरण देते हुए प्रमाणित किया जावेगा।	महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ श्रेणी के सभी कार्यों एवं अन्य विभागीय योजनाओ में (हैण्डपम्प, ट्यूबवैल के कार्यों को छोड़कर) 1 लाख तक स्वीकृत राशि के निर्माण कार्यों के पूर्णता प्रमाण–पत्र कनिष्ठ तकनीकी सहायक /कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जारी किये जा सकेंगे। हैण्डपम्प, ट्यूबवैल के कार्य एवं 1 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों के पूर्णता प्रमाण–पत्र शिड्यूल ऑफ पावर्स के प्रावधानों के अनुसार ही यथावत जारी किये जावेंगे। शेष प्रावधान शिड्यूल ऑफ पावर्स के अनुसार यथावत रहेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

13.4.2017

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव